राजस्व अपील संख्या 11/2022

अनवान

जेठाराम वगैरा बनाम सरकार

दिनांक 18-04-2022

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई । अपीलान्ट अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया एवं राजकीय अधिवक्ता श्री नवल सिह दहिया उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या ..../2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव केसरिया कंवर नगर मे पारित आदेश दिनांक 7-12-2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सेखाला ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं सपठित नियम 58, 59,60, 66 एवं 86 राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 का प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट के खातेदारी गांव केसरिया कंवर नगर के खसरा नंबर 227 मे से 0.08 बिस्वा तथा खसरा नंबर 230/2 मे से 0.11 बिस्वा भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की अनुशंषा का प्रस्ताव प्रेषित किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर रास्ता होने की जांच कराये बिना तथा अपीलांटगण खातेदारान को बिना सूचित किये अपीलांटगण के खातेदारी मे से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि किसी भी खातेदार की सहमति के बिना उसके खातेदारी का रकबा कम नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वाऱा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी मे से कभी कोई रास्ता दर्ज नही था तथा यह भी कथन किया वक्त सेटलमेंट यदि कोई रास्ता होता तो अवश्य रेकर्ड मे दर्ज होता परंतु बिना जांच किये अपीलांट की सहमति के बिना जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी ... ने राज्य सरकार के परिपत्रों को अनदेखा करते हुए जो

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

...आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही होने ... निरस्त करने का निवेदन किया।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ... अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार ... रास्तो के संबंध मे चलाये गये अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके प... उपयोग के लिए चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे अंकन नही है ... रास्तो को चिन्हित कर उनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के सं... राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बंध मे जारी परिपत्र की पूर्ण पालना की गइ... प्रशासन गावो के सग अभियान मे रास्ते सम्बधी समस्याओ का अधिक से अ... समाधान करने की सरकार की मंशा होती है जिससे आम जनता को आवागमन ... आसानी हो सके उसके अनुरुप ही कैम्पो मे रास्तो का निस्तारण किया जाता ... इसलिए उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश ... विधिसम्मत बताते हुए अपीलान्ट की उक्त अपील को खारिज करने का निवेद... किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय ... उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–12–2021 ... एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रकट किये गये कथनो पर मनन किया । जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट खातेदारान को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का अवसर दिये तथा उनकी सहमति के बिना अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनके खातेदारी भूमि मे गै0मु0रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुरुप नही होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अतः अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 7–12–2021 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्टगण खातेदारान को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करने तथा खसरा गिरदावरी मे भी रास्ते आदि का अंकन होने की जानकारी आदि कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्ट के खातेदारी ग्राम केसरिया कंवर नगर के खसरा नंबर 227 मे से रास्ते का रकबा 0.08 बिस्वा तथा खसरा नंबर 230/2 मे से 0.11 बिस्वा भूमि के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही ...

कार्यालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर